मध्य प्रदेश में पुनर्मतदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के निर्वाचन आयोग] ने कुछ [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)] के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के चार **बूथों** पर पुनर्मतदान का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु:

- पुनर्मतदान 10 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहाँ शुष्क दिवस (Dry Day) और छुट्टी की घोषणा की गई है।
- **बैतूल लोकसभा सीट** पर अनुमानित **72.65% मतदान** दर्ज किया गया।
- बैतूल **मध्य प्रदेश की नौ सीटों में से एक** थी, जहाँ **लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण** में मतदान हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- EVM एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों/मतों को रिकॉर्ड करने के लिये किया जाता है। इनका **प्रयोग पहली बार** वर्ष **1982** में **केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में** किया गया था।
    - वर्ष 1998 के बाद से, चुनाव आयोग ने मतपेटियों के बजाय EMV का उपयोग तेज़ी से किया है।
    - वर्ष 2003 में, सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव EMV का प्रयोग करके आयोजित किये गए थे।
        - इससे उत्साहित होकर **वर्ष 2004** में आयोग ने **लोकसभा चुनावों में केवल EMV का प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय** लिया।

भारत निर्वाचन आयोग

Drishti IAS

परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान
भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना

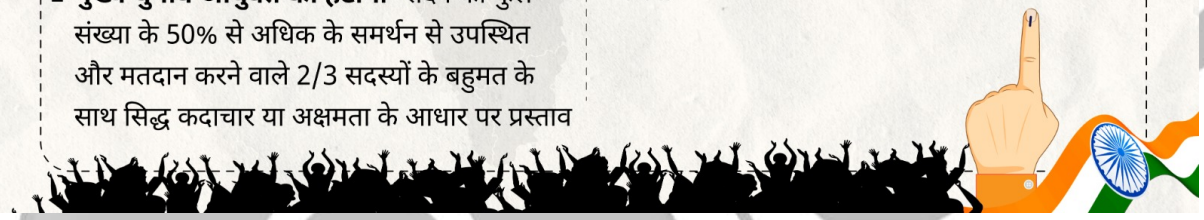

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/repolling-in-madhya-pradesh